अपील 1523 I/15 सागर
मंदिर श्री देव ठाकुर बाबा/ उभयशंकर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ... आदि के हस्ता...
10.6.15 कैम्प सागर	1– यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्र.क. 200/अ–6 वर्ष 2012–13 में पारित आदेश दि.03.02.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित उन्हें प्रकरण की ग्राहता एवं स्थगन पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया आलोच्य आदेश एवं आर्डरशीट के अवलोकन से स्पष्ट होता है। कि अपर आयुक्त सागर द्वारा आवेदक को सुनवाई हेतु आहुत किए बिना अपील का निराकरण किया है। जबकि अनुविभागीय अधिकारी सागर के आदेश में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील का निराकरण किया गया है। ऐंसी स्थिति अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.14 वैद्यानिक प्रक्रिया के आभाव में निरस्त करते हुए प्रकरण आयुक्त सागर को इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि वे प्रकरण में सभी पक्षों को सुनवाई हेतु आहुत कर माननीय उच्च न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालयों के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का निराकरण तीन माह के अंदर अनिवार्य रूप से करें। जहां तक प्रकरण में स्थगन दिए जाने का प्रश्न है। आयुक्त सागर के समक्ष प्रकरण के निराकरण किए जाने तक उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता हैं कि वे विवादित भूमि का विक्रय आदि न करें। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है। आदेश के प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।	10.6.15

5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष - माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर केम्प सागर म0 प्र0

~~निगरानी~~ अपील 1523-I-15

मंदिर श्री देव ठाकुर बाबा, गढ़ोली खुर्द
द्वारा - प्रबंध समिति अध्यक्ष - श्री कन्हैयालाल आयु करीबन 75 वर्ष
तनय श्री लछमनसींग धोबी
साकिन ग्राम गढ़ोली खुर्द तहसील वा जिला सागर

- अपीलार्थी

बनाम/-

उमाशंकर आयु करीबन 68 वर्ष तनय स्व0 नारायण प्रसाद पटैरिया
पेशा - पुजारी निवासी ग्राम पथरिया हाट
तहसील वा जिला सागर म0 प्र0

- प्रतिअपीलार्थी

अपील अन्तर्गत धारा 44 (2) म0 प्र0 भू0 राजस्व संहिता

(अपीलार्थी यह अपील श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा बिना अपीलार्थी को बुलाये वा सुनवाई किये दिनॉक 3-02-2014 को पारित किये गये अवैध आदेश, जो विधि की मान्य प्रथा तथा विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल है, से परिवेदित होकर यह अपील पेश करता है)

:: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ::

1- यह कि मंदिर श्री देव ठाकुर बाबा गढ़ोली खुर्द एक अत्यन्त प्राचीन मंदिर है, तथा इसकी जमीन मौजा गढ़ोली खुर्द में खसरा नंबर 87 तथा ख0 नं0 88 में रकवा 4-86 एकड़ विद्यमान है। वर्ष 1914-15 से लगातार राजस्व रिकार्ड में मंदिर का नाम भी दर्ज चला आ रहा है। जमीन मंदिर की व्यवस्था, पूजा पाठ आदि के लिये लगाई गई थी।

2- यह कि बहुत पहले मंदिर के पुजारी, नारायणप्रसाद के पूर्वज कुँवरबाई, मंदिर की पूजा के लिये कार्य करते थे, इसकी आड़ में नारायण के पुत्र उमाशंकर मंदिर की जमीन को अपना बताने लगे हैं, तथा इस जमीन के नामांतरण का प्रयास कर रहे हैं, जिसके सबब मामला उच्च न्यायालय तथा सिविल कोर्ट में लंबित है।